प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
03.12.2025 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

आज के मुख्य समाचार

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कुल्लू की डॉक्टर श्रुति मोरे को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित।
- प्रदेश में एक लाख 24 हजार से अधिक अवैध कब्जाधारियों की सुप्रीमकोर्ट में लड़ाई लड़ेगी सरकार।
- विधानसभा में आपदा के मुद्दे पर भारी हंगामा–विपक्ष ने सदन से किया वाकआउट।
- विपक्ष की गैरमौजूदगी में सदन में तीन विधेयक पारित–मुख्य सचिव होंगे रेरा चयन समिति के अध्यक्ष।
- प्रदेश सरकार के जनविरोधी फैसलों के खिलाफ भाजपा कल धर्मशाला में करेगी प्रदर्शन।

राष्ट्रपति–दिव्यांगजन पुरस्कार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ दया नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कुल्लू की डॉक्टर श्रुति मोरे को दिव्यांगजन सशिक्तकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर श्रुति मोरे व्यवसायिक चिकित्सक और सामाजिक नवप्रवतक हैं जो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के पुनर्वास को नया जीवन दे रही हैं। उन्होंने थैरेपी ऑन व्हिल्स के तहत कुल्लू और चंबा में चार सौ 50 से अधिक दिव्यांग बच्चों और 16 सौ परिवारों को प्रारम्भिक हस्ताक्षेप और देखभाल प्रशिक्षण प्रदान किया है।

प्रश्नकाल

राज्य सरकार एक लाख 24 हजार 8 सौ 70 अवैध कब्जाधारी परिवारों की सुप्रीमकोर्ट में लड़ाई लड़ेगी ताकि इन परिवारों को बेघर होने से बचाया जा सके। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधायक जीत राम कटवाल द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में दखल के दौरान ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नामी वकीलों को खड़ा करेगी ताकि इन कब्जाधारी परिवारों के खिलाफ प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में इन्हें राहत दिलाई जा सके। इससे पहले, मूल प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 2002–03 में एक ऐसी

नीति लाई, जिसमें अवैध कब्जाधारियों के कब्जे नियमित करने की बात कही गई। इस नीति के तहत प्रदेश में एक लाख 60 हजार से अधिक लोगों ने रातोंरात आवेदन कर दिया और ये सभी अवैध कब्जे सामने आए हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए कानून 163–ए को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, इसलिए इस समस्या के लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेदार है।

प्रश्नकाल–2

इससे पहले, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रतिपूरक सवाल में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा इस नीति को लाने का उद्देश्य दशकों से सरकारी जमीन पर घर बना कर रह रहे लोगों को उनकी जमीन का कब्जा दिलाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने सही ढंग से इस मामले को अदालत के समक्ष नहीं रखा, जिस कारण एक लाख 24 हजार से अधिक परिवारों के बेघर होने की नौबत आ गई है। विधायक डी एस ठाकुर के सवाल के जवाब में दखल देते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती पास पर यात्रा करने वाले 28 श्रेणियों के लोगों के हिम बस पास बनेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह प्रक्रिया आरंभ कर दी है और इसे पहली जनवरी 2026 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हिम बस कार्ड को हिम परिवार से जोड़ा है ताकि इस सुविधा का दुरुपयोग रोका जा सके।

वाकआउट

विधानसभा में आपदा के मुद्दे पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दल भाजपा ने आज भारी हंगामा करते हुए सदन से वाकआउट किया। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक–झोंक भी हुई। चर्चा का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटना में लापता हुए लोगों को मृत घोषित करने का मामला रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के समक्ष उठाया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में 2 हजार 6 सौ 50 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। इसके तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास में मदद मिलेगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार से अभी इस साल के नुकसान के एवज में विशेष मदद नहीं मिली है। इस बीच, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठे और आपदा के काम को लेकर संतोषजनक जवाब न देने की बात कहने लगे और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।

विधेयक

प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज सदन में विपक्षी दल भाजपा के विरोध के बीच तीन महत्वपूर्ण विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए। सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी में हिमाचल प्रदेश भू–संपदा विनियमन और विकास संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक, और दुकान व वाणिज्यिक संस्थान स्थापना संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददता–––

वीओ––– हिमाचल प्रदेश में रेरा के अध्यक्ष या सदस्यों के चयन के उद्देश्य से गठित की जाने वाली समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर राज्य के मुख्य सचिव को रेरा चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर विधानसभा में पेश के लिए हिमाचल प्रदेश भू–संपदा विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2025 को आज विपक्ष की गैरमौजूदगी में ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक के पारित होने से पहले विपक्षी भाजपा सदस्य विरोध स्वरूप सदन से उठकर बाहर चले गए थे। इस विधेयक के पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद ही रेरा संशोधन विधेयक प्रदेश में लागू होगा। इससे पहले, सदन में विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा व और त्रिलोक जम्वाल ने सरकार से संशोधन विधेयक को वापिस लेने की मांग की। भाजपा सदस्यों ने कहा कि रेरा केंद्रीय कानून है और प्रदेश सरकार इसमें संशोधन नहीं कर सकती। चर्चा के उत्तर में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि रेरा का अध्यक्ष सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित कोई भी व्यक्ति बन सकता है। उन्होंने कहा कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों से जुड़े नियमों में संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को है। इससे पहले, नगर व ग्रामीण नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा को मुख्य सचिव को रेरा अध्यक्ष नियुक्त करने पर आपत्ति क्यों है जबकि पूर्व भाजपा सरकार के समय मुख्य सचिवों को रेरा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी तरह विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2025 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष ने इसे कर्मचारी विरोधी करार देते हुए वापिस लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस संशोधन विधेयक के प्रावधान लागू होने के बाद कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके नियमितिकरण में देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह कानून बीते साल बना है और भर्तियों का समय कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इसमें संशोधन किया है। इससे पहले, विधेयक पर हुई चर्चा में विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि सेवा शर्त नियमों में संशोधन कर सरकार कर्मचारियों के आपत्ति दर्ज करने के अधिकार को समाप्त करना चाह रही है। सदन में दुकान और वाणिज्यिक संस्थान स्थापना संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक के पारित होने के बाद अब प्रदेश में वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत कामगार एक तिमाही में एक सौ 44 घंटे का ओवर टाइम कर सकेंगे और इस अवधि के दौरान कामगारों को दोगुना वेतन मिलेगा। इससे पहले कामगार सिर्फ 50 घंटे ही ओवर टाइम कर सकते थे। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र के निर्देशों के मुताबिक इस कानून में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि कारोबार में सुगमता के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों को इस कानून में संशोधन के लिए निर्देश जारी किए थे। भाजपा के रणधीर शर्मा व त्रिलोक जम्वाल द्वारा चर्चा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में 85 फीसदी दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में 10 या इससे अधिक कर्मचारी हैं। लिहाजा विधेयक के लागू होने के बाद इन सभी को फायदा होगा।

रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार धर्मशाला।

भाजपा रैली

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर उनकी जनविरोधी फैसलों के खिलाफ कल धर्मशाला में प्रदर्शन करेगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने बताया कि प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सहप्रभारी संजय टंडन, पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नाकामियों को भाजपा जनता के बीच ले जाएगी और ये प्रदर्शन कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनआक्रोश का प्रतीक बनेगा। संजीव कटवाल ने बताया कि प्रदर्शन में प्रदेशभर से हजारों पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कुल्लू की डॉक्टर श्रुति मोरे को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित।
- प्रदेश में एक लाख 24 हजार से अधिक अवैध कब्जाधारियों की सुप्रीमकोर्ट में लड़ाई लड़ेगी सरकार।
- विधानसभा में आपदा के मुद्दे पर भारी हंगामा–विपक्ष ने सदन से किया वाकआउट।
- विपक्ष की गैरमौजूदगी में सदन में तीन विधेयक पारित–मुख्य सचिव होंगे रेरा चयन समिति के अध्यक्ष।

- प्रदेश सरकार के जनविरोधी फैसलों के खिलाफ भाजपा कल धर्मशाला में करेगी प्रदर्शन।

———————————